



अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) का आमंत्रण की सूचना

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की ओर से आश्रय विहीन एवं बेघर व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थल संचालित है, इन आश्रय स्थलों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कार्यरत रजिस्टर्ड संस्थाओं/एन.जी.ओ./समुदाय आधारित संस्थान (CBO) के माध्यम से निम्नानुसार आश्रय स्थल का संचालन व प्रबंधन करवाने के लिए EOI के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आश्रय स्थलों का विस्तारित विवरण (EOI) में उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा के कमरा नं0 141 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI), संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तें आदि www.jaipurmheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त (DAY-NULM)

नगर निगम जयपुर हैरिटेज

दिनांक :- 03/08/2023

क्रमांक :- एफ-24 / () ननिज / DAY-NULM / 2023 / 102

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेज कर लेख है कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- 2- प्रबंधक ओसवाल को भेज कर लेख है कि उपरोक्त निविदा को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jaipurmheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें
3. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. गार्ड फाईल।

उपायुक्त (DAY-NULM)

नगर निगम जयपुर हैरिटेज



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)



क्रमांक :- एफ-24 / () ननिज / DAY-NULM / 2023 / 103

दिनांक :- 03/08/2023

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) का आमंत्रण

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की ओर से आश्रय विहीन एवं बेघर व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थल संचालित है, इन आश्रय स्थलों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए कार्यरत रजिस्टर्ड संस्थाओं/एन.जी.ओ./समुदाय आधारित संस्थान (CBO) के माध्यम से निम्नानुसार आश्रय स्थल का संचालन व प्रबन्धन करवाने के लिए हेतु EOI के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

Cost of RFP document (non-refundable)	Rs 500/- (Rupees Five Hundred Only) for each work
Bid Security (refundable)	Rs. 12000/- (2% of estimated cost. i.e 6,00,000/-) for each work
Publishing Date & Time	05-08-2023 11:30 AM
Request for Proposal Submission Start Date & Time	05-08-2023 2:00 PM
Request for Proposal Submission End Date & Time	17-08-2023 03:00 PM
Bid Opening Date & Time	17-08-2023 05:00 PM
Bid Validity Date	90 Days
Websites for downloading Request for Proposal	www.jaipurmheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in

शर्त :-

- आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस को पृथक-पृथक डिमान्ड ड्राफ्ट Submission End Date & Time से पूर्व जमा आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नाम से देय होगा।
- प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र परिशिष्ट "ब" पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन हेतु सलंगन है।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं नियम लागू होंगे।
- संस्थाओं/एन.जी.ओ. को पेन कार्ड एवं पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति EOI के साथ सलंगन कर प्रस्तुत करनी होगी।
- आश्रय स्थलों के संचालन का कार्य जहाँ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा, आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभांति निरीक्षण कर लें।
- सशर्त EOI मान्य नहीं होगी एवं बिना किसी कारण बताए कोई भी EOI अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त महोदय नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पास सुरक्षित रहेगा।
- EOI खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में EOI खोली जावेगी।
- संस्था/संगठन की नीति आयोग के दर्पण के माध्यम से यूनिफ आईडी प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा यूनिफ आईडी की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ सलंगन होनी चाहिए।
- फर्म द्वारा ईपीएफ और ईएसआई विभाग में नियमानुसार रजि० की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- आश्रय स्थल का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सलंगन है।
- इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज बन्द लिफाफे में नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा के कमरा नं० 141 में EOI समाप्ति की दिनांक व समय से पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त EOI से संबंधित विवरण एवं शर्तें www.jaipurmheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

क्रमांक:- एफ-24 / () ननिज / DAY-NULM / 2023 / 103

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

- श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेज कर लेख है कि दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- प्रबंधक ओसवाल को भेज कर लेख है कि उपरोक्त निविदा को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jaipurmheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें
- नोटिस बोर्ड

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

दिनांक:- 03/08/2023

उपायुक्त(DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

संचालित आश्रय स्थलों का विवरण

जिस आश्रय स्थल का संचालन हो रहा है उसका नाम, पता, क्षमता तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी वाली संभावित वार्षिक संचालन व्यय की राशि निम्नानुसार है। उक्त कॉलम संख्या 4 में दर्शाई गई राशि सांकेतिक है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के अनुसार ही अनुपातिक रूप से प्रति माह संचालन व्यय का पुनर्भरण किया जाएगा लेकिन पचास हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक देय नहीं होगा।

क्र.स.	आश्रय स्थल पूर्ण पत सहित	क्षमता	राज्य सरकार द्वारा संभावित स्वीकृति की जाने वाली राशि (लाख रु वार्षिक)
1	2	3	4
1	आश्रय स्थल दूध मण्डी, पानीपेच तिराहा (ट्रांसजेन्डर हेतु आरक्षित)	50	6.00

आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उक्त आश्रय स्थल के संचालन का कार्य जहाँ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा। अतः आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभाँति निरीक्षण कर लें।



परिशिष्ट (ब)

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता का नाम:.....

आवेदनकर्ता का पता:.....

आवेदित आश्रय स्थल का नाम.....

मोबाईल नं0.....

ई-मेल आई डी.....

पेन कार्ड नं0 (प्रति संलग्न करें, यदि हो तो)

जी.एस.टी. नं0 (प्रति संलग्न करें, यदि होतो).....

संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चेक की प्रति संलग्न करें).....

प्रतिभूति राशि का विवरण व दस्तावेज (रसीद व डिमान्ड ड्राफ्ट).....

.....

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व आधार कार्ड तथा संस्था द्वारा अधिकृत करने का पत्र.....

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि समस्त शर्तें भलीभांति पढ़ व समझ ली है तथा स्वीकार है। स्वीकृति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये गए है।

अधिकृत हस्ताक्षर मय नाम

योग्य व अनुभवी संस्था के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को व्यवस्थित सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराते हुये है मुख्यधारा में लाना है। अतः चयन का आधार लागत न होकर गुणवत्ता व अनुभव है। गुणवत्ता व अनुभव का आधार निम्नानुसार रखा गया है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था चयनित होगी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का मासिक भुगतान संचालन कार्य पर किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्वयं के संसाधनों से संचालन का प्रस्ताव देने वाली कम्पनियों/संस्थाओं को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।

क्र.स.	अनुभव व गुणवत्ता का आधार	अधिकतम अंक 100
1	<u>संस्था का रजिस्ट्रेशन</u>	15
2	राजस्थान राज्य में ट्रांसजेण्डर समुदाय के कल्याणार्थ रजिस्टर्ड व कार्यरत संस्था होने पर	20
3	<u>नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य (छात्रावास संचालन, वृद्धाश्रम संचालन, अनाथालय संचालन) का अनुभव</u> 1. अनुभव एक वर्ष का होने पर अंक -10 2. अनुभव एक वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अतिरिक्त अधिकतम 20 अंक	20
4	<u>संस्था की बैलेस सीट/लेखे (उपयुक्त पाये जाने पर) पिछले पाँच वर्षों में से किन्ही दो वर्षों की</u>	15
5	उपरोक्त 5 बिन्दुओं के अतिरिक्त संस्था की क्रेडिट अनुसार समिति सदस्यों की अनुशंषा पर	30

EOI के अन्तर्गत प्रमाण स्वरूप निम्न दस्तावेज सलंग्न करे :-

1. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
2. राज्य में कार्यरत होने के प्रमाण स्वरूप रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति
3. समान प्रकृति के कार्य किये जाने के अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज (प्रमाण-पत्र/कार्यआदेश की प्रति सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
4. संस्था की बैलेस शीट सी.ए द्वारा प्रमाणित
5. आवेदन करने वाली संस्था 50 रु के स्टाम्प पर Blacklist नहीं होने का शपथ पत्र आवेदन के साथ सलंग्न करे।

चैक लिस्ट

1. आवेदनकर्ता/संस्था को प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे।
2. समान अंक प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय गठित समिति द्वारा किया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।

चयनित संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं शर्तें

1. आश्रय स्थल 24 घण्टे व 7 दिन (24x7) खुला रहेगा।
2. आश्रय स्थल का रख रखाव संचालनकर्ता को रखना होगा किसी भी प्रकार की टूट-फूट व चोरी हुये सामान की पूर्ति संचालनकर्ता द्वारा की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं नियम संस्थाओं पर लागू होंगे।
4. आश्रय स्थलों के संचालन हेतु आश्रय स्थल पर 3 केयर गीवर जिसमें एक महिला केयर गीवर (8 घंटे की शिफ्ट में) 1 फुल टाईम मैनेजर व सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। कार्य में किसी प्रकार की कोताही/लापरवाही नहीं बरती जावेगी।
5. आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों का शिफ्टवार विवरण आश्रय स्थल पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करना होगा इस विवरण में संस्था का नाम, पता दूरभाष नियुक्त कार्मिकों का नाम पता दूरभाष नं० व शिफ्ट का विवरण होगा।
6. संस्था द्वारा लगाए जाने वाले कार्मिकों (प्रबंधक, केयर टेकर एवं सफाई कर्मी आदि) को श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मय EPF/ESI देना नियमानुसार अनिवार्य होगा। EPF/ESI जमा कराने की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
7. संचालनकर्ता द्वारा एक माह का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अगले माह के बिलों के साथ देय होने की स्थिति में EPF/ESI के चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के DAY-NULM अन्तर्गत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही संस्थाओं को कार्यादेश दिया जावेगा।
9. संस्था द्वारा लगाए गए कार्मिकों के दस्तावेजों की सत्यापित प्रति (राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आदि) नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि संचालन की अवधि के दौरान किसी कार्मिक को हटाया जाता है तो उसकी सूचना निगम कार्यालय को भी देना आवश्यक होगा। ड्यूटी के दौरान अधिकृत कार्मिक के पास संवेदक संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र रखना होगा।
10. संचालनकर्ता द्वारा आश्रय स्थल की (शौचालय, स्नानाघर, कमरे, हॉल एवं आश्रय स्थल के बाहर आस-पास की) सफाई स्वयं के स्तर पर करानी होगी।
11. संचालनकर्ता को 24 घंटे पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करानी होगी।
12. आश्रय स्थल में मेडीकल किट की व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा की जाएगी।
13. बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने हेतु आस-पास की सरकारी डिस्पेन्सरियों से सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
14. संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पास के पुलिस थाने में देनी होगी।
15. आश्रय स्थल में ठहरने वाले आश्रय विहीन व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जावेगी। निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जावे। (निःशुल्क आश्रय स्थल का बोर्ड संस्था को लगाना होगा)



16. आश्रय स्थल में लेट-बाथ हेतु पर्याप्त पानी एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर रखनी होगी यदि पानी उपलब्ध नहीं हो तो टेंकर आदि से पर्याप्त पानी की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
17. आश्रय स्थल में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिये गद्दे, रजाई, कम्बल, तकिए, दरी एवं कवर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनकी प्रतिदिन बिछाने व सार संभाल, धुलाई, प्रेस आदि करने का कार्य संचालनकर्ता का होगा। उक्त सामग्री को 15 दिवस में धुलाई की व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा की जाएगी। यदि संचालन के दौरान सामग्री में किसी प्रकार की कांट/फांट होती है तो सिलाई का कार्य संचालनकर्ता को करवाना होगा।
18. किसी भी दिन आश्रय स्थल की क्षमता से अधिक आश्रय विहीन लोगों के ठहरने की स्थिति में आवश्यक बिस्तर व अन्य व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा की जाएगी, इस हेतु अलग से राशि निगम द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी।
19. हाथ धोने के लिये साबुन, हाथ पोछने के लिये तौलियों की व्यवस्था व सफाई के लिये फिनाइल व अन्य सामग्री की व्यवस्था संचालनकर्ता स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
20. संचालनकर्ता को समय-समय पर मौसमी विमारी को देखते हुए मच्छरों/कीटों से बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं को छिडकाव करवाना आवश्यक होगा।
21. सर्दी में तापने हेतु लकड़ी/कोयला/हीटर एवं अत्याधिक गर्मी में कूलर आदि की व्यवस्था संचालनकर्ता को करनी होगी।
22. आश्रय स्थल में मनोरंजन हेतु टेलीविजन का मासिक डीश रिचार्ज एवं दैनिक समाचार पत्र की व्यवस्था संचालक द्वारा की जाएगी एवं टीवी में किसी भी प्रकार की टूट-फूट या खराबी को संचालनकर्ता द्वारा ही ठीक करवाया जाएगा। टी.वी. निगम द्वारा लगवाया जावेगा।
23. आश्रय स्थलो का निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमियां पाई जाती हैं तो 3 दिवस में कमियों की पूर्ति की जाकर अनुपालना रिपोर्ट निगम कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
24. आश्रय स्थल में ठहरने वाले आश्रय विहीन लोगों/बेघर परिवारों का इन्द्राज रोजाना रजिस्टर में किया जाएगा। जिसकी ठहरने वालों की प्रतिदिन की सूचना नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा में भिजवाने की जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।
25. आश्रय स्थल में संचालनकर्ता द्वारा निम्न रजिस्ट्रों (ठहरने वाले लोगों का विवरण रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉफ उपस्थिति रजिस्टर, शिकायत एवं सुझाव रजिस्टर, शेल्टर मेनेजमेंट रजिस्टर, हाउस कीपिंग रजिस्टर) की उपलब्धता एवं संधारण किया जाना आवश्यक होगा।
26. संचालनकर्ता आश्रय स्थल में निवास करने वाले आश्रय विहीन लोगों हेतु पहचान पत्र तथा मतदाता पत्र, आधार कार्ड, बैंक में खाता खुलवाना, आवश्यक बीमा की सुविधा दिलवाना, पेंशन दिलवाने से संबंधित कार्य भी नियमानुसार अन्य विभागों के साथ सामंजस्य करके उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
27. कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 सप्ताह का नोटिस देकर आपकी EOI निरस्त की जाकर कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।

28. यह EOI दो वर्ष हेतु जारी की गई है जिसमें सर्वप्रथम एक वर्ष हेतु कार्यदेश दिया जावेगा तत् पश्चात् निदेशालय से SUH घटक अन्तर्गत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति होने पर द्वितीय वर्ष हेतु आदेश जारी किया जावेगा।
29. चयनित सस्थाओं को आश्रय स्थल के संचालन हेतु भुगतान स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अनुमत राशि के अनुसार मासिक आधार पर अनुपातिक रूप से प्रदत्त होगा।
30. संस्था का कार्य संतोषप्रद होने पर RTPP RULES 2013 के तहत सक्षम स्तर से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् संस्था व नगर निगम जयपुर हैरिटेज की आपसी सहमती से उन्ही दर व शर्तों पर अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
31. राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा DAY-NULM योजना की अवधि निविदा अवधि से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में निविदा की अवधि तदनुसार समाप्त की जा सकेगी इसमें संवेदक का कोई उर्ज मान्य नहीं होगा।
32. राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश/परिपत्रों की पालना करनी होगी।
33. यदि संचालनकर्ता द्वारा संचालन नहीं करने/मापदण्डों पर कार्य नहीं कर पाने की दशा में, कार्य किसी अन्य से करवाने पर, किया गया भुगतान Risk & Cost पर संचालनकर्ता के भुगतान में से कटौती कर किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
34. संचालन मानदण्डों के अनुसार ना होने पर प्रतिदिन 500/- रुपये की कटौती की जायेगी।
35. Fire Extinguisher उपलब्ध है जिसे सुचारु रखने का ध्यान रखा जावे।
36. निगम हित/जनहित में आवश्यक होने पर नगर निगम द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर निविदा को निरस्त किया जा सकेगा। जिसके संबंध में कोई उज्रदारी मान्य नहीं होगी।
37. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
38. संस्थाओं द्वारा उनके स्तर पर नियुक्त कार्मिकों का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाकर विवरण की प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।
39. बिजली का बिल संस्था को समय पर जमा करवाना होगा अथवा निगम को प्रस्तुत बिलों में से कटौती की जा सकेगी।
40. आश्रय स्थल के अनुबन्ध के पश्चात् यदि कोई मरम्मत/निर्माण कार्य स्वीकृत होता है, तो उस कार्य को कराने हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज स्वतंत्र रहेगा।
41. संस्था द्वारा रखे गये केयर गिवर्स, प्रबन्धक व अन्य कार्मिकों के किसी कुकृत्य व अन्य क्रियाकलाप/व्यवहार या कोई दुर्घटना के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज उत्तरदायी नहीं होगा।
42. दीनदयाल अन्तोदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक की गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।



43. द्वितीय पक्ष अपनी कार्यकलापों के आवश्यकतानुसार प्रथमपक्ष से अनुमति लेकर उक्त परिसर में अस्थाई फिटिंग, फर्नीचर व उपकरण जो संस्था की गतिविधियों के लिये उपयोगी होंगे, लगा सकता है।
44. संस्था द्वारा आश्रय स्थल परिसर को केवल आश्रय स्थल संचालन के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जायेगा व उक्त परिसर में खतरनाक प्रकृति का कोई भी सामान व वस्तु भण्डारण नहीं करेगा।
45. आश्रय विहिनों हेतु Creative activity तथा मनोरजन/इन्डोर खेल की व्यवस्था रखनी होगी।
46. संस्था को सुनिश्चित करना होगा कि आश्रय स्थल पर कोई भूखा नहीं सोए। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई योजना का लाभ लिया जा सकता है।
47. दूध मण्डी, पानीपेच तिराहा आश्रय स्थल ट्रान्सजेण्डर समुदाय हेतु आरक्षित है इस आश्रय स्थल का संचालन ट्रान्सजेण्डर समुदाय से सम्बन्धित कार्य करने वाली संस्थाए ही आवेदन करें अन्य संस्थाए आवेदन नहीं भरें।
48. आश्रय स्थल के संचालन हेतु EOI के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से अन्तिम रूप से चयनित संस्थाओं को Performance Guarantee की राशि नियमानुसार जमा करवाने होगी व रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध DAY-NULM नगर निगम जयपुर हैरिटेज के साथ सम्पादित करना होगा।
49. EOI के सम्बन्ध में कोई भी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में होगा।
50. राज्य सरकार द्वारा जारी RTPPP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 लागू होंगे।

